

कार्यालय - मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक

क्रमांक - 34

दिनांक - 20/5/21

॥ कार्यालय आदेश ॥

माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जगन्नाथ पहाडिया का आकस्मिक देहावसान होने पर, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेश/नोटिस क्रमांक ई.टी./08/2021 दिनांक 20.05.2021 द्वारा आज दिनांक 20.05.2021 को उच्च न्यायालयों जोधपुर व जयपुर बैच एवं अधीनस्थ न्यायालयों में राजकीय अवकाश घोषित होने से आज दिनांक 20.05.2021 को टोक न्यायक्षेत्र में कार्यरत सभी न्यायालयों के अभिरक्षा/ अभिवृद्धि (रिमाण्ड), अन्य आवश्यक प्रकृति के समस्त न्यायिक कार्य एवं प्रोटोकॉल आदि से संबंधित कार्य सम्पादित किए जाने के लिए समीक्षा गौतम, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक को अधिकृत किया जाता है।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक

क्रमांक :- 357054

दिनांक :- 20/5/21

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, टोक
2. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक/उनियारा/मालपुरा/निवाई
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक/देवली/दोडारायासिंह/मालपुरा/उनियारा/निवाई/दूनी
4. अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट देवली/न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय देवली
5. पुलिस अधीक्षक महोदय, टोक
6. अधीक्षक जिला कारागृह, टोक
7. जिला आनकारी अधिकारी, टोक
8. सहायक समावेष्टा निरोधक दल, टोक
9. पुलिस कंट्रोल रूम, टोक
10. प्रतिलिपि सिस्टम ऑफिसर को जारी कर आदेश दिया जाता है कि ये उक्त आदेश को जिला न्यायालय, टोक की वेबसाईड पर अपलोड करे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, टोक

20/5/21